न्यायालय श्रीमान माननाय राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रं0..... RJT 3548-A16 सन् 2016

गनपत तनय स्व.मोहन लाल कुशवाहा

नि0 गुरैया तहसील व जिला छतरपुर म.प्र. ------निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

1. नवली पत्नि वीर कुशवाहा
2. मनकी पत्नी स्व. मुन्नी कुशवाहा

   दोनेा निवासी बकायन हार छतरपुर तह0 व जिला छतरपुर म.प्र.
3. श्रीमती भुमानी पत्नी लल्लू कुशवाहा

   नि0 चौकी पुरवा तहसील व जिला छतरपुर म.प्र.
4. श्रीमती सुन्नी पत्नी प्यारेलाल कुशवाहा पुत्री छबलाल कुशवाहा
5. श्रीमती पाव्रती पुत्री छबलाल कुशवाहा पत्नि किशोरी कुशवाहा

   दोनेा निवासीगण रामपुर तह0 व जिला छतरपुर म.प्र.------**प्रत्यर्थी/अनावेदकगण**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 निगरानी विरूद्ध श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय छतरपुर के द्वारा अपील प्रकरण क. 98 /अपील/अ-6/2015-16 मे पारित आदेश दिनांक 28.9.2016 के विरूद्ध ।

महोदय,

निगरानीकर्ता/आवेदक की ओर से निम्न विनय पेश है -

1. यह कि आ.नं.566/1/2, 568/1/2, 520/1, 520/2, 521/1, 557/2, 724/2, 724/3 कुल किता 8 रकवा क्रमशः 0.253, 0.036, 0.190, 0.105, 0.380, 0.134, 0.065, 0.069 है0 एकत्र रकवा 1.160 है0 स्थित ग्राम गुरैया निगरानीकर्ता के पिता भरोसा काछी व हरदास तनय स्व. बुदिया काछी के नाम शामिल सरीक रही है।

2- यह कि निगरानीकर्ता के पिता स्व0 मोहनलाल की मृत्यु आज से करीब तीन साल पहले ग्राम मे हो चुकी है तथा कंडिका 1 मे वर्णित सहखातेदार हरदास तनय बुदिया काछी निगरानीकर्ता के चचेरे बाबा अर्थात् उसके पिता स्व. मोहनलाल के चाचा के लड़के थे जो ग्राम गुरैया से अपने हिस्से की समस्त सम्पत्ति बेंचकर किसी अन्य जगह चले गये थे तब से उनके बारे में कोई जानकारी निगरानीकर्ता व उनके परिवार वालों व ग्रामवासियों को नहीं रही है।

3- यह कि वाद भूमियॉ पैत्रिक है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रदत्त रहने के पूर्व कर्ता खानदान समस्त सम्पत्ति का मालिक होता था जिस कारण हरदास के पिता स्व0 बुदिया काछी पूर्व मे कर्ता खानदान होने के कारण उक्त भूमियॉ उनके नाम दर्ज हाने के पश्चात्

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.-3548-एक/16

जिला-छतरपुर

गनपत विरूद्ध नवली आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11 -01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 3. यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 98/अपील/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 28-09-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-10-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 11.01.19 5. अनुविभागीय अधिकारी, जिला-छतरपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया	

जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 11.01.19
सदस्य